ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-4* Issue-2* March- 2019
Innovation The Research Concept

महिला सशक्तिकरण वर्तमान स्थिति एवं चुनौतियां

वेदवती मंडावी
सहायक प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान विज्ञान,
शासकीय वि.या.ता.स्नातकोत्तर
स्वशासी महाविद्यालय,
दुर्ग, (छ.ग.)

सारांश

भारतीय समाज में नारी ही समाज एवं परिवार की रीढ़ है जिसपर वह ठिका है। संयुक्त राश्ट्र संघ के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कुल 50 प्रतिषत महिलायें हैं। तथा एक तिहाई महिला श्रमिक षक्ति है। कुल कार्य के घंटो का दो तिहाई कार्य महिलायें कार्य करती है, किन्तु विश्व की आय का दसवां हिस्सा ही उनके पास पहुंचता है। विश्व की कुल संपत्ति का एक प्रतिषत ही उनके नाम पर है। अतः महिलासशक्तिकरण समय की मांग हैं। भारत में आजादी के पष्चात महिला उत्थान हेतु अनेक नीतियों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। फलस्वरूप 21वीं सदी में स्त्रियों की स्थिति में आष्चर्य जनक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अब सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सभी क्षेत्रों में महिलायें अपना परचम लहरा रही है।

मुख्य शब्द – सुक्ति परचम, प्रोफेसनल, नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद नारीवादी आंदोलन, अध्यात्मिक, महिला उत्पीड़न, विषाखा गाइड निर्देश अग्रशित, पदार्पण, उत्तरोत्तर, ग्लोबल जेण्डर, उत्तरजीविता, प्रशस्त, अदम्य साहस।

प्रस्तावना

''दुनियां में दो ताकतें है। एक तलवार और दूसरी कलम इनके बीच जोरदार दुष्मनी है और धमाकेदार प्रतिबद्धता, लेकिन इन दोनों ताकतों से ज्यादा मजबूत एक ताकत भी है इस ताकत को औरत कहते है।''

मो. अली जिन्ना

महिला सशक्तिकरण की चर्चा करने पर मो. अली जिन्ना के कथन के अलावा वैदिक कालीन सुक्ति ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः'' मेरे मनमस्तिष्क पर गुंजने लगता है क्योंकि महिला सशक्तिकरण हेतु उपरोक्त दोनों कथन सर्वोत्तम उपाय हो सकता है। वास्तव में जहां स्त्रियों की पूजा होगी वहां शांति स्थापित होगा और जहां सुखशांति है उस समाज या राज्य का निःसंदेह विकास होगा। हमारे देश में उक्त सुक्ति का सदियों से प्रचारित होने एवं महिलाओं को शक्ति स्वरूपा समझने व पूजने पर भी महिलाओं की स्थिति अत्यंत सोचनीय है।

भारतीय समाज में नारी ही समाज एवं परिवार की रीढ़ है जिसपर वह ठिका है। संयुक्त राश्ट्र संघ के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कुल 50 प्रतिषत महिलायें हैं। तथा एक तिहाई महिला श्रमिक षक्ति है। कुल कार्य के घंटो का दो तिहाई कार्य महिलायें कार्य करती है, किन्तु विश्व की आय का दसवां हिस्सा ही उनके पास पहुंचता है। विश्व की कुल संपत्ति का एक प्रतिषत ही उनके नाम पर है। अतः महिलासशक्तिकरण समय की मांग हैं। भारत में आजादी के पश्चात महिला उत्थान हेतु अनेक नीतियों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। फलस्वरूप 21वीं सदी में स्त्रियों की स्थिति में आश्चर्य जनक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अब सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सभी क्षेत्रों में महिलायें अपना परचम लहरा रही है।

महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित मापदण्डों को सम्मिलित किया गया है।

1. संसद एवं विधान मंडलों में महिलाओं की भागीदारी ।

2. प्रोफेसनल एवं तकनीकी सेवाओं में महिलाओं के अनुपात की सुनिश्चितता।
3. प्रशासन एवं प्रबंधन में भागीदारी की सुनिश्चिता।
4. महिलाओं की प्रति व्यक्ति आमदनी और उनकी तुलनात्मक आर्थिक स्थिति।

इसके अतिरिक्त महिलाओं की शैक्षिक, स्वास्थ्य संबंधी स्थिति, देशाटन की सुविधा, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, सत्ता एवं संपत्ति में पुरूर्शों के बराबर अधिकार को सम्मिलित किया जा सकता है।

महिला सशक्तिकरण का आशय

महिला सशक्तिकरण का आशय है ''एक ऐसा वातावरण निर्मित करना जिसमें महिलायें अपने व्यक्तिगत विकास और समाज के विकास से संबंधित निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक ले सके।'' इसे ऐसा भी कहा जा सकता है। 'महिलाओं का चौतरफा विकास करना'। महिला सशक्तिकरण के लिये भारत सहित विश्व स्तरीय प्रयास किये जा रहे है। वैश्विक स्तर पर नारीवादी आंदोलन एवं संयुक्त राश्ट्र विकास कार्यक्रम जैसी अंतर्राश्ट्रीय संस्थानों ने महिलाओं के सामाजिक समानता, न्याय लिये महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इस प्रकार 'महिला सशक्तिकरण भौतिक या अध्यात्मिक शारीरिक, मानसिक अथवा सभी स्तरों पर महिलाओं में आत्म विश्वास पैदा करके उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है।'

यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं के लिये सर्व संपन्न और विकसित होने के लिये संभावनाओं के द्वार खुल सके। भोजन, पानी, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुवधियें, शिशु पालन, प्राकृतिक संसाधन, बैंकिग सुविधा कानूनी हक और प्रतिभाओं के विकास के लिये पर्याप्त रचनात्मक अवसर मिल सके।

महिलाओं सशक्तीकरण हेतु भारत में प्रयास

भारत सहित विश्व के अधिकांष देशों में उपरोक्त मापदण्डों को पूरा करने हेतु अनेक योजनायें तथा नीतियों का निर्माण किया गया है। स्वतंत्र भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु भारतीय संविधान में अनेक उपबंधों का समावेश किया गया है। जिसमें प्रमुख इस प्रकार है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39, 47, 51 सुनिष्चित है। जहां सभी प्रकार की समानता के साथ अवसर की समानता एवं विचार अभिव्यक्ति के अधिकार महिलाओं की सुप्तप्राय इच्छाओं को उद्वेलित किया और विकास के द्वारा खोलकर रख दिया है। किन्तु इस स्थिति तक पहुंचने में महिलाओं को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

संविधान के अनुच्छेद 39 (क) पुरूश और स्त्रियों सभी को रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 51 (ए) (3) महिलाओं की गरिमा के लिये अपमान जनक प्रथाओं के परित्याग से संबंधित है। महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन की उपलब्धता है। इसी प्रकार 73 वें एवं 74 वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप महिलाओं को स्थानीय स्वशासन (शहरी व ग्रामीण) निकायों में महिलाओं को 33 से 50 प्रतिशत तक स्थान मिलने पर महिलाओं की चौतरफा विकास की संभावनायें बढ़ गई है। हमारे देष में समाज के शेशित पीड़ित वर्गों के लिये अनुच्छेद 330 एवं 332 के साथ अनुच्छेद 335 भी महिलाओं को विकास के लिये प्रोत्साहित कर रहा है।

महिला सशक्तिकरण हेतु 1970 के दषक से भारत में उत्तरोतर प्रयास किया जा रहा है। दहेज निशेध अधिनियम 1961 से लागू है। महिला उत्पीड़न संरक्षण कानून 1983 में संषोधन करके उसमें मजबूती प्रदान किया है। 1990 के दषक में महिलाओं के लिये गैर सरकारी संगठनों ने आर्थिक सहायता प्रदान करके महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान किया है। इसी प्रकार 2001 को भारत में महिला सशक्तिकरण वर्श घोशित किया और महिला सशक्तिकरण हेतु राश्ट्रीय नीति पर सहमति दी गई है। 2010 में राज्य सभा द्वारा संसद एवं विधान मंडलों में महिलाओं की भागीदारी के लिये 33 प्रतिशत स्थान के लिये महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है। 2013 में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु घरेलु हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005, एवं कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 व विाखा गाइड निर्देश महिलाओं की स्थिति को मजबूत बनाने में निःसंदेह सहायक है। महिलाओं को बढ़ावा देने हेतु 2013 को महिला सुरक्षा वर्श के रूप में घोशित किया गया है। इसी प्रकार कुछ प्रमुख योजनायें निम्नांकित है।

कामधेनु योजना

इस योजना के अंतर्गत 30प्रतिषत स्थान महिलाओं के लिये सुरक्षित है।

किशोरी बालिका योजना

11 से 18 वर्श की लड़कियों के पोशण एवं स्वास्थ्य विकास हेतु संचालित है।

अन्य महत्वपूर्ण योजनायें

स्वास्थ्य सखी योजना, देवी रूपक योजना, बालिका संरक्षण योजना, आयुश्मति योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना, कल्पतरू योजना, महिला सामाख्या योजना 1989, मातृ एवं षिषु स्वास्थ्य कार्यक्रम 1992, राश्ट्रीय महिला कोश 1993 विपरणयों वित्त योजना 1999, ग्रामीण महिला विकास परियोजना 1996, महिला समृद्धि योजना 1993, स्वास्थ्य सखी योजना 1997, बालिका समृद्धि योजना 1997, महिला स्वषक्ति योजना 1998, स्त्री शक्ति पुरस्कार योजना 2000, गृह लक्ष्मी योजना, उज्जवला योजना 2016 आदि।

भारत में महिलाओं की स्थिति

उपरोक्त संवैधानिक प्रावधान, महिला कल्याणकारी योजनाओं एवं नीतियों के द्वारा महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है तथापि महिलाओं की स्थिति में संतोशप्रद सुधार नहीं हो सका है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत है जिसमें महिला साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत है राज्यों की तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात आंकड़ों के अनुसार साक्षरता में केरल 95.5 प्रतिशत के साथ प्रथम एवं बिहार में सबसे कम 67.8 प्रतिषत है जिसमें साक्षर महिला 48 प्रतिषत है। विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार शैक्षणिक स्तर पर महिलायें काफी पीछे है। भारत में 2 लाख शोधार्थी पर मात्र 27000 महिलाओं को शेध करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

महिलाओं की पारिवारिक स्थिति में नजर डालने पर यह ज्ञात होता है कि भारतीय महिलाओं पर घर का बोझ एवं महिलाओं से आकांक्षायें सर्वाधिक होती है। जिसके कारण महिलायें चाहकर भी इसकी उपेक्षा नहीं करती और अपनी इच्छाओं का परित्याग करके सबकी आकाक्षांओं को पूरी करने में जूटी रहती है।

आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है किन्तु महिलाओं के कार्यों की गणना नहीं कि जाती। उनकी घरेल कार्यों की गणना नगण्य है, जबकि कुल कार्य घंटे के दो तिहाई कार्य महिलायें करती है। वर्तमान में साप्टवेयर उद्योग में कुल कर्मचारियों में 30 प्रतिशत महिलायें है। इसी प्रकार कृशि में 55 से 60 प्रतिशत डेयरी उद्योग में 94 प्रतिषत, लघु उद्योग में 51 प्रतिशत की भागीदारी महिलाओं की है।

सामाजिक स्थिति महिलाओं की संतोश जनक नहीं है। किन्तु बदलाव की ओर अग्रशित है। अब भारतीय महिलायें शिक्षित होकर अपने परिवार का भरण पोशण कर रही है। भारत में गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले 9.3 प्रतिशत परिवार में महिलायें प्रमुख की भूमिका निभा रही है। जबकि बी.पी.एल. परिवारों में 35 प्रतिषत परिवारों में महिलायें प्रमुख है। सामाजिक क्षेत्र में षारीरिक हिंसा होने पर 88 प्रतिषत महिलायें चुप्पी साध लेती है। सिर्फ 12 प्रतिषत महिलायें हिम्मत दिखाती है। इसी प्रकार 46 प्रतिषत महिलायें यौन उत्पीड़न, 23 प्रतिषत शारीरिक हिंसा, 33 प्रतिषत महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के षिकर होती है। जिसमें 39 प्रतिषत अषिक्षित महिलायें तथा 8 प्रतिषत पढ़ी–लिखी महिलायें प्रतिकार नहीं करती है। प्रतिवर्श केवल दहेज के कारण 8000 महिलाओं की मृत्यु होती है और विश्व में भारत का तीसरा स्थान है।

राजनीति स्थिति

भारत में स्थानीय स्तर पर 33 से 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये सुरक्षित होने के कारण राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का पदार्पण हुआ है। उनकी स्थिति में उत्तरोतर वृद्धि हो रही है। निम्नलिखित आंकडे से लोक सभा में महिलाओं की स्थिति दर्शायी गई है।

वर्ष	महिला की संख्या	निर्वाचित महिलाओं का प्रतिशत
1951	22	4-50

1957	22	4-45
1962	31	6-28
1967	29	5-58
1971	28	5-41
1977	19	3-51
1980	28	5-29
1984	43	7-95
1989	29	5-48
1991	39	7-30
1996	40	7-37
1998	43	7-92
1999	49	9-02
2004	45	8-29
2009	59	10-87
2014	66	12-15

राजनीतिक क्षेत्र में स्थानीय स्वषासन में आरक्षण मिलने से महिलाओं के होसले बुलंद हुए है। हांलाकि यहां महिलाओं को काफी उलाहनों का सामना करना पड़ता है। फिर भी अनगिनत महिलायें राजनीतिक क्षेत्र में भाग्य अजमा रही है। इस समय राज्य सभा में 27 और लोक सभा में 66 महिलायें है।

भारतीय महिलायें

दुनियां से दो गुनी उड़ान पर है दिनांक 8.3.2012 तक उनकी स्थिति इस प्रकार थी।

बिजनेस में 35 प्रतिशत की वृद्धि जिनकी प्रमुख महिलाये हैं, 11 प्रतिषत सी.ई.ओ., 14 प्रतिशत शीर्श स्थान पर, 12 प्रतिशत महिलायें पायलट, 8 प्रतिश्त डिफेंस, 20 प्रतिशत वैज्ञानिक कार्यरत्, 41 प्रतिषत महिलाओं को सी.एस.आई.आर. के लिये शोध ग्रांट, शिक्षा में 19 प्रतिषत महिलायों आई.आई.एम. में, 11 प्रतिशत एक वर्श में आई.आई.टी. में बढ़ी है। 18 प्रतिषत रिटर्न भरती है, कामकाजी महिलायें में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

उपरोक्त महिला संरक्षण कानून एवं योजनाओं के क्रियान्वयन होने के बावजूद भी भारत में महिलाओं की स्थिति संतोशजनक नहीं है। ग्लोबल जेण्डर रिपोर्ट 2013 की स्थिति लैंगिक असमानता समाज में महिलाओं के कमजोर स्थिति को दर्षाता है। 110 देशों के 8 वर्शों के विष्लेशण के आधार पर अधिकांष देशों में प्रयास की गति धीमी है। इस रिपोर्ट के आधार पर भारत की स्थिति इस प्रकार है।

क्र.	निर्धारित क्षेत्र	भारत को प्राप्त अंक	विश्व में भारत की रैकिग
1.	आर्थिक भागीदारी और अवसर	0.4	124 वां
2.	शैक्षणिक उपलब्धि	0.9	120 वां
3.	स्वास्थ्य और उत्तरजीवित	0.9	135 वां
4.	राजनीतिक सशक्तिकरण	0.4	9 वां

चुनौतियां

महिला सशक्तिकरण हेतु अनेक कानून एवं योजनाओं का संचालन सरकार द्वारा किया जा रहा है। जिसके कारण महिलायें सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही है। किन्तु उन्हें अपनी मंजिल पाने में अनेक चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है– जैसे 21वीं सदी में भी लड़का–लड़की में भेद, पुरूशों की तुलना में महिलाओं को कम आंकना, कुछ समाज में अभी भी विधवा विवाह वर्जित, घरेलु क्रय–विक्रय में महिलाओं की रूचि–अरूचि का अनदेखा करना, प्रमुख राजनीतिक एवं प्रषासनिक नियुक्ति में महिलाओं को अवसर न देना, राजनीतिक दलों द्वारा टिकिट वितरण करते समय उपेक्षा, संवैधानिक दृश्टि से रोजगार की अवसरों में समानता होने पर भी व्यवहारिक तौर पर अवसरों की कमी, विवाहित महिलाओं को नीजि क्षेत्रों में नौकरी न देना, कार्य स्थलों पर मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न आदि।

महिलाओं के प्रति असमानता का भाव दैनिक बोलचाल मे भी देखा जाता है। मानव से जुड़ी हर क्रिया में जैसे कोई प्रथा, मान्यता मानदण्ड गाली, अपशब्द महिला और पुरूश के बीच एक विभाजन रेखा खीचती है। महिलाओं के लिये अलग

मापदण्ड है। पुरूश चाहे किसी भी समाज का हो आज भी महिलाओं को अपने से उच्च स्थान पर आसीन देखना पसंद नहीं करता। महिलाओं कमतर आंका जाता है।

उपरोक्त चुनौतियां महिलाओं के पग–पग पर दिखाई देता है। जो महिलायें उपरोक्त चुनौतियां का सामना करते हुए आगे बढ़ रही है। वहीं जीवन में सफल महिला के रूप में अन्य महिलाओं का मार्ग प्रशस्त कर रही है। भले ही ऐसी महिलाओं की संख्या नगण्य है। किन्तु उनकी गौरवमयी स्थिति भारतीय समाज की काली, गवरा, दुर्गा, चण्डी, लक्ष्मी, सरस्वती जैसी ऐतिहासिक पौराणिक देवियों की भांति शक्तिशाली है। उनकी अदम्य साहस एवं शक्ति की सदैव पूजा होती रहेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *महिला कानून – प्रो. गोविंद कु. टीवेकरीया।*
2. *सामाजिक मुद्दे – जी.एल. षर्मा*
3. *कर्मठ महिलायें – रीतुमेनन, भारतीय स्त्री – नरेन्द्र*
4. *महिला सशक्तिकरण व समग्र विकास – प्रेम नारायण षर्मा, संजीव कु. झा, वाणी विनायक, सुशमा विनायक।*
5. *अंतर्राश्ट्रीय राजनीति व समकालीन मुद्दे – डॉ. बी.एल. फाड़िया।*
6. *राश्ट्र महिला वर्श 3 अंक 20।*
7. *ए जनरल ऑफ एषिया फॉर डेमोक्रेसी एण्ड डेवलपमेंट–संपादक डॉ. महावीर प्रसाद मोदी।*
8. *दैनिक समाचार पत्र – दैनिक भास्कर, पत्रिका, नवभारत।*